कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

पत्रांकः सी–124 /अधि0/आंशिक संशो0/सी0डी0एल0/2018–19 दिनॉक : 25/09/2018

समस्त सचिव/महाप्रबन्धक
जिला सहकारी बैंक लि0,
उत्तराखण्ड।

(5)

विषयः–मध्यम आय वर्गीय व्यक्तिगत सदस्यों को कन्ज्यूमर ड्यूरेबल वस्तुओं के लिए वित्तपोषण की सुविधा।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या सी0–137/अधि0–सं0का0/आंशिक सं0/सी0डी0एल0/2018–19 दिनांक 11.09.2012 द्वारा जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से मध्यम आय वर्गीय व्यक्तिगत सदस्यों को कन्ज्यूमर ड्यूरेबल वस्तुओं के वित्त पोषण की सीमा का निर्धारण किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में जिला सहकारी बैंकों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त उक्त परिपत्र में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

उक्त वित्तपोषण की सीमा को रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) से बढाकर रू0 10.00 लाख (दस लाख रूपये) किया जाता है। इस हेतु यह भी निर्धारित किया जाता है कि वित्त पोषण राजकीय वेतनभोगी खातेदार को 24 माह के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता + ग्रेड वेतन) अथवा रू0 10.00 लाख जो भी कम हो तक वित्तपोषण किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम/शर्तें पूर्व परिपत्र के अनुसार यथावत लागू रहेंगी।

(बी0एम0 मिश्र)
निबन्धक
सहकारी समितियॉं, उत्तराखण्ड।

पत्रांकः C-124 /तद्दिनांकित
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी।
2. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), क्षेत्रीय कार्यालय–सहस्त्रधारा, देहरादून।

निबन्धक
सहकारी समितियॉं, उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner